भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2123

मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 (29 अग्रहायण, 1944 (शक)) को उत्तर के लिए

जेल सुधार

†2123. श्रीमति शर्मिष्ठा सेठी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मौजूद सदियों पुरानी जेलों की व्यवस्था में सुधार करने और आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जेलों की दशा सुधारने के लिए उपयुक्त व्यापक उपाय किए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची।। के तहत 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति' 'राज्य सूची' का विषय है। कारागारों के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, भारत सरकार समय-समय पर कारागार प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर एडवायजरी जारी करके इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है। कारागारों और कारागार के कैदियों के विशिष्ट संदर्भ में, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की सं. 25) के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में धारा 436क शामिल की गई थी, जिसमें किसी कानून के तहत अपराध के संबंध में किसी विचारणाधीन कैदी को, निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि की आधी अवधि की निरुद्धता (डिटेंशन) पूरी कर लेने पर, न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत बॉन्ड/जमानत पर बरी करने का प्रावधान किया गया है।

लोक सभा अता. प्र. सं. 2123 दिनांक 20.12.2022

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2006 की सं. 2) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में एक नया अध्याय XXIक 'प्ली बार्गेनिंग' (सीआरपीसी की धारा 265-क से 265-ठ) शामिल किया गया था, जिसमें विचारण से पहले प्रतिवादी और अभियोजक के बीच बातचीत का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना और देश में विचारणाधीन कैदियों की संख्या को कम करने में सहायता करना है। कुशल कारागार तथा कैदी प्रबंधन के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में एक ई-कारागार पोर्टल भी लागू किया गया है। यह पोर्टल उन कैदियों, जिनके मामलों पर विचारणाधीन समीक्षा समितियों द्वारा विचार किया जाना है, की पहचान करने में सहायता करने सहित, राज्य प्राधिकारियों को कैदियों से संबंधित आंकड़े शीघ्र और सुगम तरीके से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। गृह मंत्रालय ने अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) परियोजना कार्यान्वित की है, जिसका उद्देश्य अपराध और आपराधिक आकड़ों को साझा करने के प्रयोजन से सभी पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ना है। अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस), जो आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों के बीच सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए एक साझा प्लेटफार्म है, के अंतर्गत आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तंभों नामतः फॉरेंसिक, अभियोजन, न्यायालय और कारागारों के साथ इन आकड़ों का एकीकरण करने के लिए सीसीटीएनएस परियोजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। आईसीजेएस सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस, कारागारों और न्यायालयों से संबंधित डाटाबेस पर राष्ट्र-व्यापी खोज की सुविधा प्रदान करता है, और यह अपराध करने वालों की पहचान करने और उनका पता लगाने में उपयोगी है। भारत सरकार की ये सभी पहलें निरंतर आधार पर आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और संशोधन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

(ग) और (घ): राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्रों में कारागारों की स्थिति में सुधार हेतु उचित उपाय करने के लिए सक्षम हैं। तथापि, गृह मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर जेल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल प्रिज़न मैनुअल 2016 भी परिचालित किया गया था, जो कारागारों और कैदियों की स्थिति में सुधार के लिए जेल निर्माण और वास्तुकला, अभिरक्षा प्रबंधन, कैदियों के कल्याण, चिकित्सा देखभाल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

****